

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 494 / 2012 / 02(120) / XXVII(8) / 2012 dated 28 May, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 494 / 2012 / 02(120) / XXVII(8) / 2012

Dehradun :: Dated: : 28 May, 2012

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to rescind the previous Notification No. 234/ 2010/ T.C. 294/ XXVII(8)/ 2007 dated 26th February, 2010 and No. 250/ 2010/ T.C. 294/ XXVII(8)/ 2007 dated 04 March, 2010 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.


(Radha Raturi)

Secretary.

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2012/02(120)/XXVII(8)/2012

देहरादून:: दिनांक:: 28 मई, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(क) की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 234/2010/टी०सी० 294/XXVII(8)/2007, दिनांक 26 फरवरी, 2010 एवं संख्या 250/2010/टी०सी० 294/XXVII(8)/2007, दिनांक 04 मार्च, 2010 को विखण्डित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं० (171) /2010/22(140)/XXVII(8)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।
- 4- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।